


श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

198



19201

R - 3040 - III 114

1. शुभकरण सिंह तनय स्व० जगन्नाथ सिंह } दोनो निवासी ग्राम/तहसील
2. अमृतराज सिंह तनय स्व० जगन्नाथ सिंह } रायपुर कर्चुलियान, रीवा म०प्र०
-----निगरानीकर्तागण

बनाम्

1. श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी स्व० प्रहलाद सिंह
2. दिनकर सिंह तनय स्व० प्रहलाद सिंह
3. दिवाकर सिंह तनय स्व० प्रहलाद सिंह
4. प्रभाकर सिंह तनय स्व० प्रहलाद सिंह
5. कमलाकर सिंह तनय स्व० कृष्णकेश सिंह
6. कमलेश सिंह तनय स्व० कृष्णकेश सिंह
7. चन्द्रशेखर सिंह तनय स्व० जगन्नाथ सिंह
8. गणेश सिंह तनय स्व० जगन्नाथ सिंह
9. मंगल सिंह तनय स्व० जगन्नाथ सिंह
- सभी निवासी ग्राम/तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा
(म०प्र०)

-----गैर निगरानीकर्तागण


निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक
07.07.2014 जो न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय
अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान द्वारा प्रकरण
कमांक 35/अ27/2012-13 मे पारित किया
गया।

बराजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3040-III/14

जिला-रीवा

शुभकरण सिंह / श्रीमती प्रभा सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
19.12.18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री सुशील कुमार तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 35/अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 07.07.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	

